

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1466 /2023


दिनांक 15.05.2023

श्रीमती कृष्णा गुप्ता (RJ00812), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर को दिनांक 23.05.2023 से 26.05.2023 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.05.2023 से 22.05.2023 एवं 27.05.2023 से 28.05.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गुप्ता की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/94/2013/ 3186

दिनांक : 15.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 2256 दिनांक 27.04.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती कृष्णा गुप्ता (RJ00812), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार